प्रेस विज्ञप्ति

शासन के पत्र संख्या 42/2023/1051/26-3-2023-सी.नं0-1513982 दिनांक 10.04.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति छात्रों के निम्नलिखित विवरण के अनुसार पोर्टल खोले जाने हेतु समय-सारिणी तैयार की गयी है:-

1. शिक्षण संस्था स्तर पर अग्रसारण न होने के कारण लम्बित आवेदन।
2. परीक्षाफल विलम्ब से घोषित होने के कारण लम्बित आवेदन।
3. विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर पर सीट की संख्या/छात्रों की प्रमाणिकता का सत्यापन न होने के कारण लम्बित आवेदन।
4. पी0एफ0एम0एस0 पर पेन्डिंग/रिजेक्शन।

प्रदेश के अन्दर एवं बाहर के दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों के लिये प्रस्तावित समय-सारिणी निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	प्रस्तावित समयावधि
1	शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	17 अप्रैल, 2023 से 19 अप्रैल, 2023 तक
2	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्श एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लाक करना।	20 अप्रैल, 2023 से 01 मई, 2023 तक
3	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	03 मई, 2023 से 01 जून, 2023 तक
4	संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र/छात्राओं के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके संस्था में जमा करने हेतु प्रिन्ट निकालना।	03 मई, 2023 से 10 मई, 2023 तक
5	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकॉपी समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों को विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखें से मिलान करके आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	03 मई, 2023 से 13 मई, 2023 तक

समस्त शिक्षण संस्थायें/छात्र-छात्रायें शैक्षिक सत्र 2023-24 में उपरोक्तानुसार अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यदि कोई पात्र छात्र छात्रवृत्ति प्राप्त करने से वंचित रह जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षण संस्था/छात्र की होगी।

(त्रिनेत्र कुमार सिंह)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
प्रयागराज।

F/(Scholarships)
12/4/2023

AR(SW)
For needful

Pramod
12/04/2023

Mr Awdhesh
12/4/23